XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07.10.2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
विविध अनुमति वाद संख्या–33/10
बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत

1. नेपाल सिंह, पिता–स्व0 गौरी सिंह
2. बदरी सिंह, पिता–स्व0 गौरी सिंह
3. गोपाल सिंह, पिता–स्व0 गौरी सिंह
4. चानो सिंह, पिता–स्व0 गौरी सिंह, सभी का साकिन–परोरा, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदकगण

बनाम्

राज्य सरकार ....

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा अपने स्वर्गीय पिता के इलाज में हुए खर्च तथा लड़की की शादी के लिये मौजा–परोरा, थाना नं0–126, 127, 128, खाता संख्या–116, खेसरा संख्या–2565, रकवा–0.58 डिसमिल जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

इसमें आवेदक का कथन है कि आवेदक के पास कुल 4.29 एकड़ जमीन हासिल है, जिसका लगान देता आ रहा है। आवेदकगण जाति के गोढ़ी है। अपने पिता के इलाज में काफी खर्च हो जाने तथा अपनी लड़की की शादी करने हेतु प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहते है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, के0 नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 348, दिनांक 15.04.2011 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये है, जिसमें प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत जमीन पंजी–II से मिलान किया गया। पंजी–II में मौजा–परोरा, थाना नं0–126, 127, 128 के अन्तर्गत आवेदकगण के पिता स्व0 गौरी प्रसाद सिंह, पिता–संतोषी प्रसाद सिंह, साकिन–परोरा के नाम निम्नलिखित जमीन लालकार्ड से प्राप्त, जिसका लगान रसीद वर्ष 2010–11 तक भुगतान है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
परोरा	126	116	2565	4.29 एकड़
	127	114	2758	
	128	130	1175	

आवेदकगण को कर्ज से मुक्त तथा लड़की की शादी के लिये इस जमीन को बेचने के अलावे दूसरा कोई श्रोत नहीं है।

आवेदकगण खेसरा नं0–2565, रकवा–0.58 डिसमिल जमीन बिक्री करना चाहते है। बिक्री करने के पश्चात आवेदकगण के पास 3.71 एकड़ जमीन बचता है, जिससे वे

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत जमीन भूदान, बिहार सरकार, वासगीत पर्चा से मुक्त है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को पिता के इलाज में हुए खर्च एवं पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिकी की अनुमति दी जाती है।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ